

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-89/99/12371-75

दिनांक : 04.10.99

आदेश

किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती, यूपी को एल.टी. पाठ्यक्रम की 50 सीटों की अनुमति सत्र 98-99 के लिए समिति कार्यालय द्वारा प्रदान की गई थी। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक कि.प्र.म.वि./522/99-2000 दिनांक 27.09.99 के द्वारा एलटी पाठ्यक्रम को बंद कर उसके स्थान पर बीएड पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में उत्तर क्षेत्रीय समिति की 20 वीं बैठक में राज्य सरकार के उक्त आदेश के संदर्भ में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती, यूपी को एलटी पाठ्यक्रम के स्थान पर सत्र 99-2000 से बीएड पाठ्यक्रम 50 सीटों के साथ चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संस्था राज्य सरकार के एलटी पाठ्यक्रम बन्द करने के आदेश में वर्णित औपचारिकताओं की पूर्ति करेगी एवं परिषद् द्वारा बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु निर्धारित मानदंडों का पूर्णतः पालन करेगी। यदि संस्था मानदंडों का पालन नहीं करती है तो संस्था के विरुद्ध परिषद् अधिनियम एवं इनके अन्तर्गत जारी विनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय

(डॉ० एस.एन. मेठी)

क्षेत्रीय निदेशक

प्रति—

प्राचार्य

किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय

बस्ती, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शासन सचिवालय, लखनऊ
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, निशातगंज, लखनऊ
3. कुल सचिव, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
4. रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएँ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

क्षेत्रीय निदेशक

कार्यालय : ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004

कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004

Jurisdiction : U.P., Delhi, Harayana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

Phone फोन : 0141-623501

Fax फैक्स : 91-141-620116